उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-14/2015/2422/37-1-2015-9(26)/2015टी0सी0-1
लखनऊः दिनांक 09 जून, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

एतदद्वारा श्री राज्यपाल निम्नलिखित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों/उप निदेशको/अधीक्षको को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

क्र0	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना/प्रभार का स्थान	गृह जनपद/ ज्ये0क्र0	तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	डा0 सम्पूर्णानन्द सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, बाराबंकी	659 आजमगढ	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य, कुशीनगर
2	डा0 जगवीर सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, झाँसी	661 मेरठ	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नजीबाबाद, बिजनौर
3	डा0 देवेन्द्र सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शिकारपुर, बुलन्दशहर	717 अलीगढ	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, बुलन्दशहर
4	डा0 निर्मल कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कौशाम्बी	1008 कानपुर देहात	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, उन्नाव
5	डा0 संदीप कुमार अग्रवाल, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर प्रतीक्षारत	923 रांची, झारखण्ड	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, जौनपुर
6	डा0 बिजेन्द्र सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, पीलीभीत	784 मु0नगर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, धनौरा, अमरोहा
7	डा0 लक्ष्मी प्रसाद, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, खीरी प्रतीक्षारत	995 हमीरपुर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, बाराबंकी
8	डा0 अनिल कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य देवरिया	929 जौनपुर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लालगंज, आजमगढ
9	डा0 आर0के0 द्विवेदी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, महशी, बहराइच	778 फतेहपुर	उप निदेशक, (पैथो), बांदा

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्थानान्तरित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वह आदेश निर्गत होने के दिनांक से 01 सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित प्राधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल अवमुक्त कर दे। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगें, के विरूद्व भी विभागीय कार्यवाही की जायेंगी।

दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-14/2015/2422(1)37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2), पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन।
4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, पशुपालन ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।